

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/3/1996/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
टोक

विषय:- ग्राम मोरण, तह0 बौली जिला सवाई माधोपुर की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसंग :-राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(30) राज-1/
2011/पार्ट दिनांक 21.01.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्राम मोरण, तह0 बौली जिला सवाई माधोपुर की बन्द की अधिसूचना दिनांक 21.01.2019 के अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

ह०

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 12-2-19

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 257

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है ।

N Jain

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(30)राज.-1/2011/पार्ट

जयपुर, दिनांक 21 JAN 2019

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि ग्राम मोरण तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(30)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 17.12.2013 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त ग्राम का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से ग्राम मोरण में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

30

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/03/96/24 दिनांक 07.01.2019।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोक।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/21
4/2/19

R.R.
31-01-19

पञ्च-एन

ज-०१-१९

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-१) विभाग

कमांक : प० 13(30)राज.-१/२०११/पार्ट

जयपुर, दिनांक

21 JAN 2019

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि ग्राम मोरण तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य अधिसूचना कमांक: प० 13(30)राज./गुप-१/२०११ दिनांक 17.12.2013 के द्वारा प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु अपर भू-अभिलेख अधिकारी भू-प्रबन्ध अधिकारी टोक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त ग्राम का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से ग्राम मोरण के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

३०


(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/११/२/०३/९६/२४ दिनांक ०७.०१.२०१९।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोक।
6. रक्षित पत्रावली।

Lup
संयुक्त शासन सचिव



RR/22
4/2/19

RR
31-01-19